

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं०-8डी०(आयोग)-33-17/2017- 70

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,

निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक(मुख्यालय),

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 13/10/2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹161.26 लाख एवं गैर वेतन ₹ 43.50 लाख अर्थात् कुल ₹ 204.76 लाख (दो करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान का आबंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थापना व्यय वहन हेतु वेतन में ₹161.26 लाख एवं गैर वेतन ₹ 43.50 लाख अर्थात् कुल ₹ 204.76 लाख (दो करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की निकासी की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 69 दिनांक 13.10.2017 के द्वारा प्रदान की है। तदनुसार स्वीकृत राशि के आलोक में वेतन में ₹161.26 लाख एवं गैर वेतन ₹ 43.50 लाख अर्थात् कुल ₹ 204.76 लाख (दो करोड़ चार लाख छिहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान मद में आबंटित की जाती है।

2-आबंटित राशि बजट मुख्य शीर्ष- मुख्यशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-001-निदेशन एवं प्रशासन-0001-राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के प्राथमिक इकाई 001.3104-सहायक अनुदान-वेतन एवं 0001.3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन मांग सं०-44 विपत्र कोड 44-2225020010001 के अन्तर्गत विकलनीय है।


3- इस राशि की निकासी उप निदेशक(मुख्यालय), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन से किया जायेगा तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक मुश्त राशि सचिव राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17-4-98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

5-आयोग के व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का अलग से लेखा संधारण किया जायेगा तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा से करेंगे।

6- सचिव राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक- 31-3-2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।


विश्वासभाजन


(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

✓

ज्ञापांक-8डी0(आयोग)-33-17/2017-70 पटना, दिनांक- 13/10/2017

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट) शाखा, कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा/ प्रशाखा पदा0 6 जी0/ लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) सांख्यिकी शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।


निदेशक ।

Letter-Secratry

U2